न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सीता शर्मा आर.ए.एस.

क्रमांक : 329 Gcms:- 2024/751 दिनांक : 3.12.24

चेतराम उर्फ चेतनराम पुत्र चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) – अप्रार्थी

उपस्थिती : एडवोकेट रामस्वरूप बारूपाल – प्रार्थी
तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ – अप्रार्थी

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय **दिनांक :** 3.12.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि प्रार्थी चेतराम उर्फ चेतनराम पुत्र चुन्नीराम द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ की रोही चाहड़सर की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता नं. 245/203 के खसरा नं. 79 में 13.152 है0, व खसरा नं. 484/79 में 2.049 है0, कुल 15.201 है0 बारानी दोयम भूमि में से 5.067 है0 हिस्सा में से प्रार्थी का 1/5 हिस्सा यानि 1.0134 है0 बारानी दोयम भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम चेतराम दर्ज है। जबकि वास्तविक नाम चेतनराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पंचायत प्रमाणपत्र में चेतनराम दर्ज है। चेतराम उर्फ चेतनराम पुत्र चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी मांझूबास तहसील पदमपुर एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम चेतराम उर्फ चेतनराम पुत्र चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर नाम दुरूस्ती की प्रार्थना की। यह प्रार्थनापत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया गया व उनके द्वारा बाद रिपोर्ट पटवारी उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया।

प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर प्रार्थी को जरिये अभिभाषक सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए रिपोर्ट पटवारी एंव तहसीलदार सूरतगढ़ के प्रस्तुतिकरण की और ध्यान दिलाया। प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थनापत्र की पृष्टि होना प्रकट किया व प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

राज्य पक्ष की और से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थनापत्र निर्णय की प्रार्थना की गयी।

बाद सुनवाई पत्रावली के तथ्यों के परिवेश में अवलोकन करने पर पाया कि वर्तमान की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता नं. 245 पुराना, 203 नया के लिखमारा वगैरहा के नाम अंकित खसरा नं. 79 में 13.152 है0, व खसरा नं. 484/79 में 2.049 है0, कुल 15.201 है0 बारानी दोयम भूमि के खाते में बलवन्तीदेवी वगैरहा [illegible] अंकित [illegible] खाते में चेतराम पुत्र चुनीराम के स्थान पर चेतराम उर्फ चेतनराम पुत्र चुन्नीराम का [illegible] नाम दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार नाम की दु[illegible] अलग से तहसीलदार के नाम से जारी हो।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब [illegible]ल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक : 9189

दिनांक : 5.12.24

श्रीमान तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़।

विषय : नाम दुरूस्ती बाबत।

तहसील सूरतगढ़ की रोही चाहड़सर की वर्तमान की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता नं. 245 पुराना, 203 नया के खसरा नं. 79 में 13.152 है0, व खसरा नं. 484/79 में 2.049 है0, कुल 15.201 है0 बारानी दोयम भूमि में से 5.067 है0 हिस्सा के अंकित काश्तकार चेतराम पुत्र चुनीराम की 1/5 हिस्सा यानि 1.0134 है0 बारानी दोयम भूमि में नाम चेतराम अंकन के स्थान पर चेतराम उर्फ चेतनराम पुत्र चुन्नीराम का नाम दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये है।

अतः आदेशानुसार जमाबंदी में चेतराम अंकित काश्तकार का नाम चेतराम उर्फ चेतनराम पुत्र चुन्नीराम के नाम की दुरूस्ती अंकित की जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 17:43:43 IST
Reason: SelfAttested